न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट फरीदपुर, जिला- बरेली।

वाद सं०- 3127/2016
मु०अ०सं०- 271/2016
सरकार बनाम जयपाल
धारा- 420/406/467/468/469/471 भा०दं०सं०
थाना- फरीदपुर
जिला- बरेली।

आरोप

मैं शहनाज अंसारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट फरीदपुर, बरेली आप अभियुक्त जयपाल को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करती हूँ-

1. यह कि दिनाँक 24.02.2016 को बहद स्थान कार्यालय उप-निबंधक फरीदपुर थानाक्षेत्र फरीदपुर जिला बरेली में आपने वादी मुकदमा की जमीन का फर्जी बैनामा धोखाधड़ी के उद्देश्य से श्रीमती श्यामा देवी के हक में करा दिया। ऐसा कृत्य अंतर्गत धारा- 420 भा०दं०सं० के तहत दंडनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि आपने वादी मुकदमा की जमीन का फर्जी बैनामा बेईमानी से दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यासभंग किया। ऐसा कृत्य अंतर्गत धारा- 406 भा०दं०सं० के तहत दंडनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
3. यह कि आपने जमीन का कूटरचित फर्जी बैनामा जानबूझ कर तैयार किया गया। ऐसा कृत्य अंतर्गत धारा- 467 भा०दं०सं० के तहत दंडनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
4. यह कि आपने छल करने के आशय से एक कूटरचित फर्जी बैनामा तैयार किया। ऐसा कृत्य अंतर्गत धारा- 468 भा०दं०सं० के तहत दंडनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
5. यह कि आपने छल करने के आशय से एक कूटरचित फर्जी बैनामा तैयार कर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया है। ऐसा कृत्य अंतर्गत धारा- 469 भा०दं०सं० के तहत दंडनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
6. यह कि जमीन का फर्जी बैनामा आपके द्वारा कूटरचित जानते हुए असली के रूप में प्रयोग किया गया। ऐसा कृत्य अंतर्गत धारा- 471 भा०दं०सं० के तहत दंडनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आप अभियुक्त जगपाल को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों के लिए आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनाँक- 07.03.2019
(शहनाज अंसारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट फरीदपुर, बरेली।

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये तथा समझाये गये। अभियुक्त द्वारा आरोपों से इंकार किया गया तथा विचारण की माँग की गयी।

दिनाँक- 07.03.2019
(शहनाज अंसारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट फरीदपुर, बरेली।